## न्यायालयः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1, बालाघाट, जिला – बालाघाट (म०प्र०) { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 174–ए/2017</u> <u>संस्थापन दि. 14.12.2017</u> फाईलिंग.नं. आर.सी.एस.ए/928/2017

- 1. मोहम्मद सादिक अली पिता स्व. अहमद अली

### // विरुद्ध //

- 1. पवन बर्वे पिता स्व. राधारमण बर्वे, उम्र 35 साल,
- 2. श्रीमती शकुंतला बर्वे पिता स्व. राधारमण बर्वे, दोनों जाति कहार, दोनों निवासी वार्ड नं. 09. बैहर रोड, बालाघाट तहसील व

- 1. आवेदकगण / वादीगण द्वारा श्री राजेश वाजपेयी अधिवक्ता।
- 2. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण द्वारा श्री जितेन्द्र मंगलानी अधिवक्ता।

# 🥰 / आदेश / /

# { आज दिनांक 08.01.2018 को पारित }

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण / वादीगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदकगण / वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए, नम्बर—1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण / वादीगण द्वारा जून 2016 में श्री गणेश लिल्हारे पिता श्री बाबुलाल लिल्हारे निवासी बालाघाट एवं उनके परिजनों से नजूल प्लाट नं. 75 / 1, सीट नं. 24—सी, में से रकबा 313.60 वर्गमीटर भूमि जो बैहर रोड मुख्य मार्ग पर, वार्ड नं. 08 तह. व जिला बालाघाट में स्थित संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची अ में दर्शित ए, बी, सी एवं डी भूखण्ड पंजीयत विकयपत्र दिनांक 08.06. 2016 द्वारा क्य कर स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त कर लिया था, इसका बैहर रोड मुख्य मार्ग पर चौड़ाई 30 फुट है, वादीगण के उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा से लगाकर 62 वर्गमीटर भूमि भी वादीगण द्वारा श्रीमती चन्द्रवती लिल्हारे पिता श्री साबूलाल लिल्हारे से उनके स्वामित्व की भूमि नजूल प्लाट नं. 75 / 2, सीट नं. 24—सी में से पंजीयत विकयपत्र दिनांक 08.02.2016 द्वारा क्य की गई थी, जिसे नामांतरण पश्चात् नजूल विभाग द्वारा नजूल प्लाट नं. 75 / 2 के रूप में दर्ज किया गया है, इसकी बैहर रोड मुख्य मार्ग पर चौड़ाई 5 फुट है जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि से लगकर पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है जो उनके अभिमावक स्व.राधारमण बर्वे द्वारा श्रीमती चन्द्रवती लिल्हारे पिता

श्री साबूलाल लिल्हारे से उनके स्वामित्व की भूमि नजूल प्लाट नं. 75/2 सीट नं. 24—सी में से ही क्य की गई थी, इस तरह वादीगण की उक्त दोनों भूमि संपत्ति के पूर्व में प्रतिवादीगण की भूमि, पश्चिम में रमनबाई एवं गणेश लिल्हारे व अन्य की रिक्त भूमि, उत्तर में बैहर रोड एवं दक्षिण में हसन का मकान स्थित है। वादीगण क्य दिनांक से अपनी उक्त वादग्रस्त भूमि संपत्ति पर काबिज चले आ रहे हैं एवं वादीगण का अपनी उक्त भूमि संपत्ति पर बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है।

- आवेदकगण / वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है कि आवेदकगण / वादीगण द्वारा अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि नजूल प्लाट नं. 75 / 1, सीट नं. 24—सी, में से क्य किये रकबा 313.60 वर्गमीटर भूमि(संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची अ में दर्शित ए, बी, सी एवं डी) पर दुकान संचालित की जा रही है एवं सीट नं. 24—सी नजूल प्लाट नं. 75/2 रकबा 62 वर्गमीटर भूमि (संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची अ में दर्शित सी,डी,ई,एफ) को हवा—रोशनी हेतू रिक्त रख, उपयोग किया जा रहा है, के वादग्रस्त भूखण्ड से लगकर पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण का नजुल प्लाट नं. 75/3 भूमि स्थित है, जिस पर प्रतिवादी द्वारा निर्माण अपनी हद में किया गया जिस पर आपत्ति लेने पर वादीगण से लडाई कर गाली गलीच की गई, तत्पश्चात् दिनांक 03.12.2017 को वादीगण द्वारा निरीक्षण करने पर देखा कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वादग्रस्त भूमि नजूल प्लाट नं. 75/2 रकबा 62 वर्गमीटद के मध्य बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु गडडे एवं कालम लोहा बांधने का कार्य करवाया जा रहा है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण करने से मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, इस तरह प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर लगभग 4 फीट अतिक्रमण कर निमार्ण किया जा रहा है। वादीगण द्वारा तत्काल पुलिस कोतवाली एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट एवं नगरपालिका परिषद को लिखित शिकायत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, किंतु नगरपालिका परिषद द्वारा स्थल जांच कर अतिक्रमण एवं बिना अनुमति निर्माण पाये जाने पर प्रतिवादीगण को सूचनापत्र दिनांक 06.12.2017 प्रेषित कर निर्माण कार्य रोकने हेतू निर्देशित किया गया, तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा काम नहीं रोकने पर पुनः दिनांक 11.12.17 को नगरपालिका परिषद अंतिम सूचनापत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिवादी को वादी की भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची अ नजरी नक्शे में सी,डी,ई,एफ भाग में लाल स्याही से दर्शित रथान से अतिक्रमण / छज्जा एवं कालम निर्माण हटाकर समतल किये जाने हेतू स्थाई आदेशात्मक व्यादेश द्वारा आदेशित किया जाना एवं वादी की अनुसूची अ में दशाई भूमि पर हस्तक्षेप करने या निर्माण करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोंके जाने हेतु उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदगण/वादीगण के पक्ष में होकर सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है, यदि प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका नहीं गया तो आवेदकगण / वादीगण को अपरिमित क्षति होने की संभावना है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है।
- 4. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने वादी/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि बालाघाट नजूल शीट क्रमांक 24—सी में एक भूखण्ड क्रमांक 75/3 स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 388 वर्गमीटर(4176 वर्गफीट) है। यह भूखण्ड अनावेदकगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है तथा नजूल अभिलेखों में अनावेदक

कमांक 1 के पिता तथा कमांक 2 के पित राधारमण पिता रामरतन बर्वे के नाम से दर्ज चली आ रही है। अनावेदकगण को यह संपत्ति श्री राधारमण बर्वे की मृत्योपरांत(दिनांक 08.04.2003) उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अनावेदक कं. 1 के पिता तथा क्रमांक 2 के पति राधारमण वर्षे द्वारा पंजीयत विक्रय पत्र दिनांकित 10. 07.2002 के द्वारा यह संपत्ति पूर्व स्वामी चन्द्रावती बाई पिता साबूलाल से क्रय कर स्वामित्व एवं आधिपत्य अर्जित किया गया था जो तद्समय भूखण्ड कं. 75/2 का अंश थी, जिसे नामांतरण उपरांत भूखण्ड क्रमांक 75/3 के रूप में संख्यांकित किया गया है। अनावेदकगण के इस भूखण्ड की पूर्व तथा पश्चिम दिशा में (उत्तर से दक्षिण की ओर) लंबाई 115 फिट तथा (दक्षिण दिशा में) 39 फीट है। अनावेदकगण द्वारा अपने इस भूखण्ड के पश्चिम सीमांत से पूर्व की ओर चलते हुए 26 फीट चौड़ाई में तथा 70 फीट लंबाई में निर्माण कार्य किया गया है। इस भुखण्ड के उत्तरी दिशा में अनावेदकगण द्वारा लगभग 30 फीट लंबी(उत्तर से दक्षिण) और 30 फीट चौड़ी (पूर्व से पश्चिम) जगह छोड़कर निर्माण कार्य किया गया है। अनावेदकर्गण द्वारा अपने इस भूखण्ड पर निर्मित किए गए रहवासी मकान को पाखाना तथा स्नानघर, मकान की दक्षिण दिशा में निर्मित किए गए हैं। उक्त पाखाना की साफ सफाई के लिए किसी सफाई कर्मी को घर के भीतर से होते हुए न जाना पड़े और घर के बाहर से ही सीधे पाखाना तक सफाई कर्मी पहुंच सके इस उद्देश्य से अनावेदकगण द्वारा अपने भूखण्ड की पूर्व दिशा में 4 फिट चौड़ी और 60 फीट लंबी जगह आने जाने की गली के रूप में छोड़ी गई है।

अनावेदकगण / प्रतिवादीगण के आगे यह अभिवचन भी किया है कि अनावेदकगण द्वारा निर्माण कार्य लगभग माह जून 2017 में प्रारंभ किया गया था मकान निर्माण का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद अर्थात अनावेदकगण का निर्माण कार्य प्रारंभ हुए लगभग 4–5 माह की अवधि बीत जाने के बाद माह सितंबर 2017 के अंत तथा अक्टूंबर 2017 के प्रारंभ में आवेदक कं. 1 ने अनावेदक गण द्वारा घर की दक्षिण दिशा में निर्मित किए गए पाखाना और स्नानघर तक घर के बाहर से ही पहुंचने तथा साफ सफाई के उद्देश्य से आने जाने के लिए छोड़ी गई उक्त 4 फीट चौड़ी तथा 70 फीट लंबी गली की जगह को अपने स्वामित्व का भूखण्ड होने का दावा कर विवाद किया जाने लगा। अनावेदकगण कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी और अपने नवनिर्मित मकान की सेफटी के लिए अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा नजूल अधिकारी बालाघाट के समक्ष अपने भूखण्ड का सीमांकन किए जाने हेत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे राजस्व प्रकरण कं. 11-3-12 वर्ष 2017-18 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। चुंकि भूखण्ड कं. 75/2 की भूमि जो अनावेदकगण के भूखण्ड कमांक 75/3 में पश्चिम दिशा में स्थित है, के नजूल खसरे में तद्समय भी चन्द्रावती लिल्हारे का ही नाम दर्ज था, इस कारण उक्त प्रकरण में आवेदकगण को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई, अपित् चन्द्रावती लिल्हारे जिसके नाम से भूखण्ड कमांक 75/2 की भूमि दर्ज थी, के सहित रमनबाई, मोहम्मद हसन, भागरथाबाई, अब्दुल हफीज, गणेश पिता बाबूलाल जो अनावेदकगण के भूखण्ड कं. 75/3 के आसपास के भू—धारक हैं, को सीमांकन कार्यवाही की सूचना जारी की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में दिनांक 30.11.2017 को अनावेकदगण के भूखण्ड कं. 75/3 की सीमांकन कार्यवाही की गई। संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही के दौरान आवेदक कं. 2 भी उपस्थित रहा और कार्यवाही देखी। दिनांक 04.01.2017 को राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना सीमांकन प्रतिवेदन नजूल अधिकारी बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 05.01.2017 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

- 6. अनावेदकगण / प्रतिवादीगण ने यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदकगण का मकान निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, छत भी ढाली जा चुकी है और खिड़िकयों के छज्जे भी ढाले जा चुके हैं और अब केवल फिनिशिंग और प्लास्टर और बाउण्ड्री वाल का कार्य शेष है वाद का अंतिम रूप से विनिश्चय होने में अत्यधिक समय लगना अधिसम्भाव्य है, ऐसी स्थिति में यदि अनावेदकगण को फिनिशिंग, प्लास्टर और बाउण्ड्रीवाल निर्मित करने से वाद का अंतिम निराकरण होने तक निषधित कर दिया जाता है तो अनावेदकगण द्वारा निर्मित किये जा चुके बेसिक स्ट्रक्चर में क्षति और हास 000 आज द्रव्य में आंकलन किया जाना ही अनाधिसंभाव्य है। आवेदकगण का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं०. में उपबंधित प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।
- 7. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :--
  - 1- क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी / आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
  - 2 क्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदक के पक्ष में है ?
  - 3— क्या वादी / आवेदक को अपूर्णनीय क्षित होने की संभावना है ?

#### सकारण निष्कर्ष

## विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2, 3 के संबंध में

स्विधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदकगण / वादीगण ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में नजूल प्लाट नं. 75/1 सीट नं. 24–सी, रकबा 313.60 वर्गमीटर भूमि क्रय की गई थी, उक्त भूमि से लगकर 62 वर्गमीटर भूमि, श्रीमती चन्द्रवती लिल्हारे पिता श्री साबूलाल लिल्हारे से नजूल प्लाट नं. 75/2 सीट नं. 24 सी पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 08.02.16 को कय की गई थी, उक्त भूमि पर उनका बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि के पूर्व दिशा में उनके द्वारा 4 फीट की गली हवा, रोशनी हेत् रिक्त छोड़ी गई थी, प्रतिवादीगण की भूमि भी पूर्व दिशा में स्थित है, उनके द्वारा मकान निर्माण किये जाने के पश्चात् में उक्त गली पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है, दिनांक 03.12.17 को वादीगण के द्वारा निरीक्षण किया गया कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर बावंड्रीवाल निर्माण हेतु गड्डे एवं कालम खोदे जाकर लोहा बांधने का कार्य करवाया जा रहा है, जब वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण गाली गलौच पर उतर आये, जिसकी शिकायत वादीगण के द्वारा पुलिस अधीक्षक बालाघाट तथा पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट को की गई तथा नगरपालिका में शिकायत की गई। नगरपालिका के द्वारा दिनांक 06.12.17 को नोटिस दिया गया और कार्य न रोके जाने पर दिनांक 11.12.17 को पुनः नोटिस भेजा गया। वादीगण ने उक्त भूमि पर दीवार बनाये जाने के संबंध में प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई व्यादेश की सहायता चाही है, जबकि प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि वह अपनी ही भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जब वादीगण के द्वारा सितंबर आखरी और अक्टूबर प्रारंभिक माह में आपत्ति प्रस्तुत की गई तो उनके द्वारा उक्त भूमि का सीमांकने कराया गया और सीमांकन में राजस्व निरीक्षक के द्वारा उनकी हद को समझाते हुए निशान अंकित किये गये और उसी के पश्चात् उनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया।

- 9. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त स्थल के फोटोग्राप्स एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज रही हैं, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। यहां मात्र यह विवाद है कि वादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी 4 फीट भूमि पर अतिक्रमण करते हुए दीवार बनाई जा रही है, जबिक प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि उन्होंने अपने घर के पीछे लेट्रिन बाथरूम बनाया है, जिसकी सफाई के लिए गली छोड़ी थी, जिससे की सफाई कर्मी सीधे पीछे से वहां पहुंचकर सफाई कर सके। उक्त गली को दोनों ने अपने—अपने स्वामित्व व आधिपत्य की होना बताया है।
- प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि उनके द्वारा संपूर्ण निर्माण किया गया है, इसके पश्चात् वादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है, इससे यह दर्शित होता है कि वादीगण, प्रतिवादीगण को परेशान करना चाहते हैं, अन्यथा वह समय पर ही उक्त बात का विरोध करते। प्रतिवादीगण ने इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजनबाई विरूद्ध डाली वाहने व्य.वाद कं. 75ए / 2017 का आदेश दिनांक 21.09.2017 आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. को न्यायदृष्टांत की भांति प्रस्तृत किया है और यह तर्क किया है कि दोनों प्रकरण के तथ्य समान है, इसलिए न्यायालय अपने पूर्व आदेश का अवलोकन करें। सर्वप्रथम तो यह कि यह न्यायालय अपने किसी पूर्व आदेश से बंधा नहीं है। द्वितीय की सजनबाई विरूद्ध डालीवाहने वाले प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा 3 मंजिला मकान का निर्माण काफी समय पूर्व कर लिया गया था और प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान के कब, कंहा और किस दिशा में अतिक्रमण किया गया, इस संबंध में अभिवचन न होने से उक्त आवेदन निरस्त किया गया था और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की थी, किंतु हस्तगत प्रकरण के तथ्य उक्त प्रकरण से भिन्न है। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अपना मकान कार्य पूर्ण कर लिया है, यह बात सही है, किंतु वादीगण का ऐसा कहना नहीं है कि उनकी भूमि पर प्रतिवादीगण का मुकान बनाया गया है, बल्कि यह विवाद केवल 4 फीट की गली पर दीवार बनाये जाने का है और उक्त निर्माण कार्य वर्तमान में किया जा रहा है तथा दोनों प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण इस न्यायालय के पूर्व आदेश का लाभ प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होता है।
- 11. प्रतिवादीगण का यह भी अभिवचन है कि सिंतबर माह के आखरी सप्ताह और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जब वादीगण के द्वारा विवाद किया गया तो उनके द्वारा दिनांक 30.11.17 को सीमांकन हेतु आवदेन प्रस्तुत किया गया और दिनांक 04.12.17 को सीमांकन कार्यवाही की जाकर उनकी सीमा को समझाया गया और सीमाचिन्ह कायम किया गया और उसी के अनुसार उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस तथ्य पर वादीगण को यह आपत्ति है कि उक्त सीमांकन के समय वह उपस्थित नहीं थे, जबिक सीमांकन किये जाते समय पड़ोसी होने के नाते उन्हें सूचना देना आवश्यक था, प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें उसके नाम का उल्लेख नहीं है कि उन्हें सूचना पत्र दिया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि चन्द्रवती लिल्हारे के नाम पर दर्ज रही है इसलिए उन्हें सूचना दी गई है, इसलिए उक्त भूमि पर वादीगण का नाम राजस्व दस्तावेज में दर्ज नहीं हो पाया है, इसलिए राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें सूचना नहीं दी गई है।
- 12. यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि क्योंकि प्रतिवादीगण को इस

संबंध में पूर्ण जानकारी थी कि चन्द्रावती लिल्हारे से वादीगण के द्वारा भूमि क्रय कर ली गई है, क्योंकि वादीगण के द्वारा विवाद किये जाने के आधार पर ही प्रतिवादीगण ने सीमांकन कार्यवाही की थी, तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण को राजस्व निरीक्षक को इस तथ्य से अवगत कराना था कि जिससे मुख्य विवाद है उसे सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही हुई है उक्त प्रकरण में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि वादीगण ने दिनांक 04.012.17 की राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट नजूल अधिकारी को देने के पश्चात् 05.12.17 को कार्यवाही समाप्त किये जाने का अभिवचन किया है, किंतु प्रतिवादीगण को दिनांक 06.12.17 को नगरपालिका द्वारा नोटिस इस आशय का दिया गया कि वह बिना अनुमति के पड़ोसी की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य कर रहे हैं। अतः निर्माण कार्य रोका जावे, इसके पश्चात् दिनांक 11.12.17 को कार्यवाही न रोकने के संबंध में अंतिम सूचना पत्र नगरपालिका परिषद की ओर से प्रतिवादीगण को दिया गया है, उक्त सूचना पत्रों का जवाब प्रतिवादीगण की ओर से नगरपालिका को दिया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही इस संबंध में कोई अभिवचन किया गया है। यदि दिनांक .5.12.17 को प्रतिवादीगण के पक्ष में सीमांकन हो चुका था तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण नगरपालिका परिषद के समक्षे उपस्थित होकर या लिखित रूप से यह सूचना पत्र का जवाब उन्हें प्रस्तुत करते।

- 13. प्रतिवादीगण के द्वारा अपने मकान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके संबंध में वादीगण को कोई आपित्त नहीं है, उभय पक्ष के मध्य विवाद मात्र 4 फीट गली का है। अतः उक्त गली किसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है और किसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है इस प्रश्न का निराकरण इस स्टेज पर नहीं किया जा सकता है, इस प्रश्न का निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य होने के उपरांत ही किया जाना संभव है, क्योंकि इस स्तर पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण की भूमि से वादीगण की भूमि लगी हुई है, अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में दिखाई देता है।
- 14. यदि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त गली पर दीवार का निर्माण कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रकरण में पेचिदिगियां और वाद बाहूल्यता बढ़ने की संभावना है और प्रतिवादी के मुकाबले वादी को अत्यधिक असुविधा और अपूर्णीय क्षिति होने की संभावना है, चूंकि प्रतिवादीगण के मकान का ढांचा तैयार हो चुका है उसमें फीनिशिंग का कार्य बािक है, और उक्त मकान के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अतः उक्त मकान के निर्माण कार्य को किसी प्रकार से बािधत किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवादीगण को मात्र उक्त वादग्रस्त गली पर प्रकरण के निराकरण तक दीवार बनाये जाने से रोके जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 15. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक / वादी के पक्ष में होने से आवेदक / वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश—39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर—1 का विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता है।
- 16. अतः वादीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादी की वादग्रस्त चार फीट की गली पर दीवार का निर्माण कार्य न करें।

- 17. वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह चार माह में वाद का निराकरण करावे, विलंब कारित किये जाने की दशा में उक्त आदेश अपास्त किया जा सकेगा।
- इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। 18. आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व्याप्ति मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

ARREA JULIANA BELL ARREAD ARRE

सही / – अतः नया बालाघाटे विकास स्वर्धाति । विकास स्वर्याति । विकास स्वर्धाति । विकास स्वर्धाति । विकास स्वर्याति । विकास स्वर्ध (अपर्णा आर.शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग

सही / – (अपर्णा आर. शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट (म.प्र.)

Steno- Yogita Rahangdale